

8/2/23

अन्वेषणायादी उपस्थिति, पत्रावली में वाड-वाडीगत
व्यक्तिगत किमा जागत विस्तृत विवरण प्रथम से
विशेषवाता जागत मन्त्री किमा मन्त्र, वकीलवाडी
हाटा स्वल्प मुल्य उड्डात किउ गने पर्या डिगी
जाती है। पत्रावली में कम कम कारवाही
अपेक्षित नहीं है मन्त्र पत्रावली नलीबड है।
पत्रावली समय पंक्ति के कम से कम की
जागत विवरण की सूची में शामिल है।

[Signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 095/2022

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जगवीर सिंह पुत्र श्री वजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।
2. तनवीर सिंह संधू पुत्र श्री जगवीर सिंह संधू जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।
3. गुरवीर संधू पुत्री श्री जगवीर सिंह संधू जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।वादीगण

ब न म

1. श्रीमती विरेन्द्रजीत कौर पुत्री श्री वजिन्द्र सिंह पत्नी श्री सुखजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी न्यू ऑफिसर कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. तेजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. परनीत सिंह पुत्र श्री हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. मंगु पुत्र श्री हेमा जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. कलावती पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. दलीप पुत्र श्री धोकल राम जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. नानू राम पुत्र श्री सिमरथा राम जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. प्रमोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. रामकुमार पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. रामस्वरूप पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. राम सिंह पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
14. विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
15. सीता रानी पत्नी श्री कुन्दन लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ..प्रतिवादीगण

उपरिथत- श्री संजय जनवेजा
राज पैरोकार

(वादी 1 ता 3)
(प्रतिवादी 17)



-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 69/58 का मुरब्बा नम्बर 14, 16, 17 व 18 की कुल 18.430 है नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह के नाम से 7.689 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 तनवीर सिंह संधू के नाम से 6.578 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 गुरवीर संधू के नाम से 1.719 हैक्टेयर व वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की माता सरजीत कौर के नाम से 1.797 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। श्रीमती सरजीत कौर का देहान्त हो चुका है। जिनके वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 विधिक वारिस है, इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। इसी चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/10 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 व 32 की कुल 8.501 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह के नाम से 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कागजात माल है। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी पारस्परिक सहमति से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का काफी समय पूर्व घरू रूप से बंटवारा कर लिया था। घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण के कब्जा काशत में वाके चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 69/58 का मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 1/2 के साथ चिपता भाग), 2/1(0.228 है0 नहरी), 2/2(0.025 है0 खाला), 3/1(0.228 है0 नहरी), 3/2(0.025 है0 खाला), 4/1(0.228 है0 नहरी), 4/2(0.025 है0 खाला), 5 ता 9 (प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर नहरी), 10/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 10/2 के साथ चिपता भाग), 11/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 11/2 के साथ चिपता भाग), 12 ता 19(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 20/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 20/2 के साथ चिपता भाग), 21/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 21/2 के साथ चिपता भाग), 22 ता 25(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 5.692 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.467 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 17.797 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/10 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24(0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि चली आ रही है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की माता सरजीत कौर द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि का हकपरित्याग अपने जीवन काल में अपनी हकीकी पौत्री वादी संख्या 3 गुरवीर संधू के पक्ष में किया हुआ है। उक्त भूमि में से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह के कब्जा एवं स्वामित्व में 8.701 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 2 तनवीर सिंह संधू के कब्जा एवं स्वामित्व में 6.578 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 3 गुरवीर संधू के कब्जा एवं स्वामित्व में 3.516 हैक्टेयर कृषि भूमि चली आ रही है। जिसके वादीगण मालिक व काबिज है। शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व 7 ता 14 के कब्जा काशत में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 6 का उक्त रकबा में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही उसका कोई कब्जा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलम जन किया जाना आवश्यक है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज है तथा काशत कर रहे है। वादीगण ने अपने हिस्सा की उक्त कृषि भूमि में कड़ी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके सुधार कार्य करवाए हैं तथा वादीगण के कब्जा एवं स्वामित्व का रकबा काफी उपजाऊ बन चुका है। वादीगण पढे लिखे व अग्रणी काशतकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व

रिकार्ड में उक्त रकबा किलावाइज दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह घरू बंटवारा अनुसार सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.11.2022 को उन्होंने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 17 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे:-

वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 69/58 का मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 1/2 के साथ चिपता भाग), 2/1(0.228 है0 नहरी), 2/2 (0.025 है0 खाला), 3/1(0.228 है0 नहरी), 3/2(0.025 है0 खाला), 4/1(0.228 है0 नहरी), 4/2(0.025 है0 खाला), 5 ता 9 (प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 10/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 10/2 के साथ चिपता भाग), 11/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 11/2 के साथ चिपता भाग), 12 ता 19(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 20/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 20/2 के साथ चिपता भाग), 21/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 21/2 के साथ चिपता भाग), 22 ता 25(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 5.692 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.467 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 17.797 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/10 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24(0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जिसमें से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह को 8.701 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 2 तनवीर सिंह संधू को 6.578 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 3 गुरवीर संधू को 3.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 का व श्रीमती सरजीत कौर का नाम कलमजन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.12.2022 को वादी जगवीर सिंह द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 नियम 20 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समाचार पत्र के माध्यम से करवाना चाहता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।

दिनांक 30.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत। शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 16.01.2023 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा फॉर्म संख्या 03 के साथ दैनिक लोक सम्मत दिनांक 31.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की, शामिल की गई।

समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशन को 30 दिवस से अधिक समय हो जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 की ओर से कोई भी असालतन अथवा वकालतन प्रस्तुत न होने के कारण दिनांक 07.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।


Dickson

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 4 जी बड़ी, पटवार हल्का कालियां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 14/10 एवं 69/58 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 69/58 का मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 1/2 के साथ चिपता भाग), 2/1(0.228 है0 नहरी), 2/2 (0.025 है0 खाला), 3/1(0.228 है0 नहरी), 3/2(0.025 है0 खाला), 4/1(0.228 है0 नहरी), 4/2(0.025 है0 खाला), 5 ता 9 (प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 10/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 10/2 के साथ चिपता भाग), 11/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 11/2 के साथ चिपता भाग), 12 ता 19(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 20/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 20/2 के साथ चिपता भाग), 21/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 21/2 के साथ चिपता भाग), 22 ता 25(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 5.692 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.467 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 17.797 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/10 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24(0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जिसमें से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह को 8.701 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 2 तनवीर सिंह संधू को 6.578 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 3 गुरवीर संधू को 3.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में से प्रतिवादी संख्या 1 की माता श्रीमती सरजीत कौर पत्नी श्री वजिन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 6 मंगु का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.02.2023 को जारी किया गया।



जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर

(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, प्रशिक्षु आई.ए.एस.

1. जगवीर सिंह पुत्र श्री वजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।
2. तनवीर सिंह संधू पुत्र श्री जगवीर सिंह संधू जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।
3. गुरवीर संधू पुत्री श्री जगवीर सिंह संधू जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर हाल आबाद 250/41, प्रताप एन्कलेव, जयपुर (राजस्थान)।वादीगण

ब न अ म

1. श्रीमती विरेन्द्रजीत कौर पुत्री श्री वजिन्द्र सिंह पत्नी श्री सुखजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी न्यू ऑफिसर कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. तेजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. परनीत सिंह पुत्र श्री हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. मंगु पुत्र श्री हेमा जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. कलावती पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. दलीप पुत्र श्री धोकल राम जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. नानू राम पुत्र श्री सिमरथा राम जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. प्रमोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. रामकुमार पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. रामस्वरूप पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. राम सिंह पुत्र श्री चुनी लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
14. विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
15. सीता रानी पत्नी श्री कुन्दन लाल जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
उपस्थित— श्री संजय जनवेजा (वादी 1 ता 3)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 17)

...प्रतिवादीगण

दिनांक 08 फरवरी, 2023

वादपत्र संख्या 95/2023

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 17 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि - वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 69/58 का मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 1/2 के साथ चिपता भाग), 2/1(0.228 है0 नहरी), 2/2(0.025 है0 खाला), 3/1(0.228 है0 नहरी), 3/2(0.025 है0 खाला), 4/1(0.228 है0 नहरी), 4/2(0.025 है0 खाला), 5 ता 9 (प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 10/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 10/2 के साथ चिपता भाग), 11/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 11/2 के साथ चिपता भाग), 12 ता 19(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी), 20/1(0.127 है0 नहरी किला नम्बर 20/2 के साथ चिपता भाग), 21/1(0.126 है0 नहरी किला नम्बर 21/2 के साथ चिपता भाग), 22 ता 25(प्रत्येक 0.253 है0 नहरी) कुल 5.692 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.467 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 17.797 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/10 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24(0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जिसमें से वादी संख्या 1 जगवीर सिंह को 8.701 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 2 तनवीर सिंह संधू को 6.578 हैक्टेयर कृषि भूमि का, वादी संख्या 3 गुरवीर संधू को 3.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में से प्रतिवादी संख्या 1 की माता श्रीमती सरजीत कौर पत्नी श्री वजिन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 6 मंगु का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ...वास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08...फरवरी, 2022 को जारी की गयी.

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर